

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक / पटना, दिनांक-
06/पणन(स0)-92/2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी शृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 350 पंचायत स्तरीय संग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रति ईकाई रू0 10,20,500/- (दस लाख बीस हजार पाँच सौ) की दर से कुल राशि रू0 कुल 35,71,75,000/- (पैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 10,20,50,000/- (दस करोड़ बीस लाख पचास हजार) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी शृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 350 पंचायत स्तरीय संग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रति ईकाई रू0 10,20,500/- (दस लाख बीस हजार पाँच सौ) की दर से कुल राशि रू0 कुल 35,71,75,000/- (पैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख पचहत्तर हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 10,20,50,000/- (दस करोड़ बीस लाख पचास हजार) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष राशि रू0 25,51,25,000/- (पच्चीस करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार) की निकासी अगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 में की जायेगी।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु स्वीकृत योजना प्रस्ताव के आलोक में योजना की कुल राशि का 50 प्रतिशत अनुदान मद, 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी एवं 25 प्रतिशत ऋण की राशि का प्रावधान किया गया है, जो निम्नरूपेण विकलनीय होगा:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
i.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425001080116	4,28,61,000/-
ii.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425007890103	81,64,000/-
iii.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष-0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-54 निवेश, विषय शीर्ष-01 निवेश, विपत्र कोड-09-4425001080166	2,55,12,500/-

iv.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष-0120 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड-09-6425001080120	2,14,30,500 / -
v.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड-09-6425007890101	40,82,000 / -
	कुल राशि	10,20,50,000 / -

3. ग्रामीण क्षेत्रों के सब्जी उत्पादक किसानों से प्रत्यक्ष रूप से सब्जियों का संग्रहण, प्राथमिक छंटाई एवं तौल तथा परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यह केंद्र उन प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे, जहाँ प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना स्वीकृत अथवा संचालित हैं। ऐसे 114 प्रखंडों की पंचायतों में प्रति प्रखंड 02 से 04 पंचायतों का चयन कर कुल 350 संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर संग्रहण केन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक लगभग 700 वर्गफीट लीज/सरकारी भूमि संबंधित PVCS द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित पंचायतों में संग्रहण केन्द्र की स्थापना सब्जियों के क्लस्टर को चिन्हित करने के उपरांत किया जाएगा। क्लस्टर चिन्हित करने हेतु वेजफेड द्वारा हाई वैल्यू सब्जियों/अधिक मांग वाली सब्जियों (MoU आधारित मांग एवं बाजार आधारित मांग) एवं सब्जी का अधिक उत्पादन करने वाले पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायतों के चयन की पात्रता एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण वेजफेड द्वारा किया जाएगा।

4. राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का प्रवाह राज्य सरकार/विभाग से वेजफेड, वेजफेड से सब्जी संघ तथा सब्जी संघ से प्राथमिक समितियों के माध्यम से होगा। अनुदान/हिस्सा पूंजी/ऋण मद में राज्य सरकार से जिस अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, अनुवर्ती उपयोगकर्ता समिति को उसी अनुपात में राशि विमुक्त की जायेगी। संबंधित समिति तदनुसार प्राप्त राशि के विरुद्ध योजना अंतर्गत कर्णांकित मदवार राशि की अधिसीमा में व्यय करेगी। इसका अनुपालन संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। PVCS को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि के वसूली के संबंध में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना का होगा।

5. सहकारिता विभाग के ज्ञापांक-2971 दिनांक-19.10.2023 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य हेतु PVCS कार्यान्वयन एजेंसी/अभिकर्ता होगी। उक्त निर्माण कार्य हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी के स्तर से नियमानुसार असैनिक अभियंता की प्रतिनियुक्त की जायेगी, जो तकनीकी स्वीकृत प्राप्त मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन पर निर्माण कार्य संपादित करायेंगे।

6. योजना अंतर्गत पंचायत स्तरीय संग्रहण केन्द्र के निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समय-सीमा छः माह की होगी। संरचना निर्माण हेतु प्राथमिक सब्जी सहयोग समिति (PVCS) कार्यकारी एजेंसी एवं अभिकर्ता के रूप में नामित होंगे। संरचना निर्माण में तकनीकी सहयोग हेतु वेजफेड द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम (BSWC) से समन्वय कर PVCS का निर्माण कार्य में तकनीकी सहयोग एवं क्षमतावर्धन प्राप्त किया जायेगा। इस संरचना का पूर्ण स्वामित्व PVCS का होगा एवं इसका संचालन PVCS के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अभियंता द्वारा किया जायेगा जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

7. निर्माण कार्य हेतु समिति द्वारा कार्य सम्पादन के आधार पर निम्नरूपेण सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति से चार किश्तों में राशि का व्यय किया जायेगा:-

- निर्माण कार्य हेतु ले-आउट होने के पश्चात् प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन के आलोक में स्वीकृत राशि का अधिकतम 20% राशि।

- प्लीथ तक कार्य पूरा होने एवं मापी पुस्तिका के प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किये जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर द्वितीय किस्त के रूप में अधिकतम 30% राशि।
- छत तक कार्य पूरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किये जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर तृतीय किस्त के रूप में अधिकतम 30% राशि।
- शेष 10% राशि निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किये जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर चतुर्थ किस्त के रूप में finishing के लिए।

8. इस योजना अन्तर्गत पंचायत स्तरीय संग्रहण केन्द्रों के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी PVCS में निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति से आवश्यक फोटो प्रमाणक के साथ प्रबंध निदेशक, वेजफेड को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

9. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि०, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

11. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि०(2) दिनांक 16.05.2013 में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

13. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.07.2026 में मद सं०-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

14. इस योजना के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-4272 दिनांक-30.07.2026 में निर्धारित शर्त एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(स०)-92/2026 के पृष्ठ संख्या-26/टि० पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है।

16. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-06/पणन(स०)-92/2026 के पृष्ठ संख्या-28/टि० पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है।

ज्ञापांक.....

289

/पटना, दिनांक.....

19/08/26

06/पणन(स0)-92/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के निजी सहायक/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक/प्रबंध निदेशक, सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

₹

सरकार के अपर सचिव।